संख्या–4672/71–2–14–107/2007

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2014

विषयः–रामा कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर को बी0एम0एल0टी0 प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10953/2014, दिनांक 05.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त रामा इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंसेज, रामा सिटी, जी0टी0 रोड, मंधना, रेलवे स्टेशन के पास, मंधना कानपुर को बी0एम0एल0टी0 प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु 40 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

1. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा बी0एम0एल0टी0 प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–4447/71–3–05–141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 24.01.2006, 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया जाता है, तो संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्या–4672(1)/71–2–14–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबन्धक, रामा इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंसेज, रामा सिटी, जी0टी0 रोड, मंधना, रेलवे स्टेशन के पास, मंधना कानपुर।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।